राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक / रीडर / 2025 / 3565 दिनांक 03.10.2025

तहसीलदार
श्रीमाधोपुर

दस्ती

विषयः– तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम पटवारी हल्का कल्याणपुरा (थोई)

विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता

मुकदमा नम्बरः– 134 / 2025, निर्णय दिनांकः–29.09.2025

आदेश

उपरोक्त विषयान्तर्गत उक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.09.2025 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि उक्तांकित प्रकरण में यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करें तथा पालना रिपोर्ट अन्दर मियाद एक माह मे आवश्यक रूप से इस न्यायालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 01.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मोहर से जारी किया गया।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:34:12 IST
Reason: SelfAttested

FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

29-9-2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम पटवारी हल्का कल्याणपुरा (थोई)

किस्म मुकदमा–प्राप्त्र प्रचलित रास्ता धारा 131, 132 एल.आर.एक्ट मुकदमा नम्बर 134/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर	[illegible]
29.09.2025 29/09/25 [illegible]	राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्यभर में दिनांक 24 जून 2025 से 09 जुलाई 2025 तक "पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा" का आयोजन किया गया था। जिसके अन्तर्गत राजस्व विभाग से सबंधित संपादित किये जाने वाले कुल 10 गतिविधियों/कार्यों में से क्रमांक 6 पर "रास्तों के प्रकरणो का निस्तारण" का कार्य श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, राजस्व (ग्रुप–5) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र पत्रांक प0 04(3) राज–5/सम/2024 जयपुर दिनांक 18.06.2025 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में विभिन्न ग्राम पंचायतों में खातेदारी कृषि भूमियों में कदीमी रूप से चले आ रहे प्रचलित रास्ते (जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में आ रहे है) को राजस्व रिकार्ड में गै0 मु0 रास्ता के रूप में दर्ज कराने हेतु भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायतो से प्रस्ताव लिये जाकर शिविर के दौरान मौके पर प्रचलित रास्तों के प्रस्ताव तैयार करवाये गये थे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये पत्र कमांक 2411/भू.अ./2025 दिनांक 08.08.2025 एंव पुनः पत्रांक 2588/भू.अ./2025 दिनांक 16.09.2025 के द्वारा तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व ग्राम कल्याणपुरा (थोई) पटवार हल्का कल्याणपुरा (थोई) के कृषि भूमि खसरा नम्बर 378 रकबा 0.80 हैक्टर व 1110/380 रकबा 0.1545 हैक्टर मे से होकर जा रहे प्रचलित रास्ता मुख्य आबादी से मागेश्वर बाबा एंव संतोष योगी के मकान की तरफ तक जाने वाले प्रचलित रास्ता जो मौके पर चालू होकर आंशिक कच्चा एंव आंशिक पक्का बना होकर [illegible] है। उक्त प्रचलित रास्ते का अंकन राजस्व [illegible] प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 राजस्थान [illegible] नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1[illegible] मय दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, गुगल मेप, फर्द मौका रिपोर्ट जिस पर आम जनता के सहमति बतौर हस्ताक्षरित, फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का कल्याणपुरा (थोई) संलग्न है। जिसे तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी अभिशंषा रिपोर्ट के	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:34:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]पुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	साथ इस न्यायालय को प्रेषित किया है। विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता न्यायालय के क्षेत्राधिकार एव श्रवणाधिकार का होने से प्रकरण को न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया गया। इसी परिपेक्ष्य में पूर्व में श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-6) जयपुर राजस्थान सरकार का परिपत्र क्रमांक प 3 (2) राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के द्वारा भी गावों मे कदीमी रूप से चालू होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ चले आ रहे प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड मे गै0 मु0 रास्ता दर्ज किये जाने तथा रास्ते के रूप में काम आने वाली भूमियों की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में सम्बन्धित खातेदारान के ही नाम जमाबन्दी में रखे जाने बाबत राज्य सरकार द्वारा परिपत्र जारी किया गया है। उक्त जारी परिपत्र की पालना मे तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये प्रचलित रास्ते के प्रस्ताव व प्रस्ताव के संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त प्रस्तावित प्रचलित रास्ते के मौके पर कदीमी रूप से चालू होकर सार्वजनिक रूप से काम में आने प्रस्तावित प्रचलित रास्ता मुख्य आबादी से मागेश्वर बाबा एंव संतोष योगी के मकान की तरफ तक जाने वाले प्रचलित रास्ता जो मौके पर चालू होकर आंशिक कच्चा एंव आंशिक पक्का बना होकर सुचारू रूप से संचालित होना प्रकट होता है। उक्त प्रचलित रास्ता जो मौके पर चालू होकर रास्ते के सार्वजनिक आवागमन के उपयोग में आने से एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अनुशंषा के मध्यनजर प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एंव [illegible] भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के निय[illegible] के तहत भिजवाये गये प्रस्ताव क[illegible] जाता है तथा मौके पर चालू प्रचलित रास्ता राजस्व रिकार्ड में [illegible] किये जाने के आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निम्नानुसार दिये जाते है :- राजस्व ग्राम कल्याणपुरा (थोई) पटवार मण्डल कल्याणपुरा (थोई) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:34:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]माधोपुर (सीकर)

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

खसरा नम्बर 378 रकबा 0.80 हैक्टर किस्म बजंड–2 में से 0.1350 हैक्टर व 1110/380 रकबा 0.1545 हैक्टर किस्म बजंड–2 में से 0.0125 हैक्टर भूमि नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी कृषि भूमि में से तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज किया जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्णय प्रति एंव संलग्न नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रेषित कर आदेश दिये जाते है कि उक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमि बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर 378 रकबा 0.80 हैक्टर किस्म बजंड–2 में से 0.1350 हैक्टर व 1110/380 रकबा 0.1545 हैक्टर किस्म बजंड–2 में से 0.0125 हैक्टर भूमि नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी कृषि भूमि में से तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज किया जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्णय प्रति एंव संलग्न नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रेषित कर आदेश दिये जाते है कि उक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमि बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज की जावें एंव नक्शें में तदनुसार तरमीम की जावें। गैर मुमकीन रास्ते की भूमि सिवायचक भूमि होकर राजस्थान सरकार के खातें में ही रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश के भाग रहेगें। उक्त प्रचलित रास्ता में अंकित खसरा नम्बरान् पर यदि किसी अपीलीय/अपर/सिविल/राजस्व मण्डल इत्यादि किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नही हो तो राजस्व रिकार्ड में पालना किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

3565/... 3-10-25

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:34:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। 29/09/25

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)